वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 13.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" भारत कनेक्ट संवाददाता,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

भारत कनेक्ट संवाददाता–दि0 13.10.2025

अवैध निमाणों पर प्राधिकरण की डेवलपर एवं कॉलोनाइजर पर सख्त कार्यवाही जारी

भारत कनेक्ट संवाददाता

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैध निमाणों,अवैध प्लॉटिंग तथा अनधिकृत होटल निमाणों के विरुद्ध सतत रूप से अभियान चलाया जा रहा है। स अभियान का उद्देश्य शहर के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना,नियमों के अंतर्गत मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाना तथा अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में कॉलोनाइजर अमित सिंह द्वारा वाराणसी नगर क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के बिना होटल निर्माण कार्य किया गया था` इस अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा तत्काल स्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए होटल निर्माण किया गया है । प्राधिकरण द्वारा संबंधित निर्माण की समस्त अभिलेखीय जांच की गई जिसमें यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि होटल ₹मुलाकात₹ का स्वीकृत नक्शा मालिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है` इस पर प्राधिकरण द्वारा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कॉलोनाइजर अमित सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु पत्र संबंधित थाने में रिसीव करा दिया गया है` इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा होटल मालिक को कारण बताओ नोटिस व इनके द्वारा और भी अवैध प्लाटिंग,अवैध होटल की तलाश किया जा रहा है जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि वह निश्चित अवधि के भीतर स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करें,अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों, बिल्डरों एवं होटल मालिकों के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा` किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण,प्लॉटिंग अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं।